



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

F: No.-P9 () Affiliation-Acad./2025-26/ 34588

Date : 19/09/2025

To,
Principal,
Maharshi Parshuram P.G. College,
Danta, Distt.-Sikar.(College Code- 345)


Subject : Extension in Provisional Affiliation for the Session 2025-26.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application for the purpose mentioned above. I am directed to inform you that Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college for Academic Year 2025-26 in the following courses/subject on the basis of NOC received from State Government:-

| Faculty | Subjects | No. of Seats |
|-----------------|--|----------------|
| B.A. | Hindi, Sanskrit, English, Pol. Science, History, Geography. Economics, Pub. Admn. | 360 |
| B.Sc (Bio Gp) | Chemistry, Botany, Zoology. | 120 |
| B.Sc (Maths Gp) | Chemistry, Physics, Maths. | 240 |
| M.A. | Hindi Literature. | 60 |
| | English Literatue, Sanskrit, History, Geography. Pol. Science. | 40 Per Subject |


Above affiliation is subject to fulfillment of all the conditions and norms prescribed by the UGC, State Government and the University. If the prescribed norms are not fulfilled, the extension of provisional affiliation will be withdrawn by this University.



Registrar
Date : 19/09/2025

F: No.-P9 () Affiliation-Acad./2025-26/ 34589-591

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul, J.I.N. Marg, Govt. of Rajasthan Jaipur.
2. The Controller of Examination, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar.
3. P.S. to V.C., Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar.
4. Guard File.


सचिव


Dy. Registrar (Acad.)

स्व. श्री कन्हैयालाल हरिदास शिवालय
दंता (सीकर) राज.

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 (361) आकाशि/अनु/03/9385

दिनांक:- 2/3/2012

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 से पूर्व में आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

| क्र. सं. | पत्रा. सं. | महाविद्यालय का नाम | महाविद्यालय का पता | सम्बद्ध विश्वविद्यालय | विषय/संकाय |
|----------|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 361 | महर्षि परशुराम पीजी महाविद्यालय | दांता (दांतारामगढ़) सीकर | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर | पूर्व आवंटित विषय एवं संकाय तथा नवीन विषय पीजी स्तर पर कला में-राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, वाणिज्य-एबीएसटी, ईएफएम, वीएडीएम तथा विज्ञान-रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित |

नोट:-संस्था 6 माह में संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टाफ का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर विभाग को प्रस्तुत करें।

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सीकर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

शैलेश कुमार शर्मा
सचिव

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

स्व. श्री कन्हैयालाल हरितवाल शिक्षण संस्थान
दांता (सीकर) राज.